न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 796/2025

अपीलाण्ट

केलकी पुत्री रूगाराम
पत्नी भाकरराम पटेल,
निवासी नारनाड़ी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर, हाल पता–ग्राम झंवर, तहसील झंवर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. **स्व0 रूगाराम पुत्र मूलाराम के वारिसान–**
   1/1 राजुराम पुत्र रूगाराम
   1/2 कलाराम पुत्र रूगाराम
   1/3 पोलाराम पुत्र रूगाराम
   1/4 पुखाराम पुत्र रूगाराम
   1/5 अमकी पुत्री रूगाराम
   1/6 मीरा पुत्री रूगाराम
   1/7 सारी पुत्री रूगाराम
   1/8 हीरकी पुत्री रूगाराम
2. **स्व0 गणेशाराम पुत्र मूलाराम के वारिसान–**
   2/1 कमा पुत्री गणेशाराम
   2/2 चेनाराम पुत्र गणेशाराम
   2/3 भल्लाराम पुत्र गणेशाराम
   2/4 भीयाराम पुत्र गणेशराम
   2/5 मीरा पुत्री गणेशराम
   2/6 रामाराम पुत्र गणेशराम
   2/7 अखाराम पुत्र गणेशराम
3. **स्व0 इन्द्राराम पुत्र स्व0 गणेशराम के वारिसान–**
   3/1 अशोक पुत्र स्व0 इन्द्राराम
   3/2 मन्जु पुत्री स्व0 इन्द्राराम
4. **स्व0 जैराम उर्फ जोराराम पुत्र मूलाराम के वारिसान–**
   4/1 मंगलाराम पुत्र स्व0 जैराम उर्फ जोराराम
   (सभी जाति पटेल, निवासीगण नारनाड़ी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर)
5. **तहसीलदार जोधपुर**
6. **तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 28.10.2025 राजस्व अपील संख्या 138/2025 (2025/401) अनवान केलकी बनाम स्व0 रूगाराम के वारिसान वगैरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–
1. श्री अनोपसिंह सोलंकी, वकील अपीलांट
2. श्री धनपत चौधरी वकील रेस्पो0सं0 2/2 से 2/4 व 4/1
3. श्री दुर्गसिंह भाटी वकील रेस्पो0 सं0 1/1 व 1/5 से 1/7
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक .01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 138/2025 (2025/401) अनवान केलकी बनाम स्व0 रूगाराम के वारिसान वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत ग्राम नारनाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 21.06.1989 के विरूद्ध राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत कर, यह आग्रह किया कि ग्राम नारनाडी के ख0नं0 531 व 665 की भूमि सोनिया, रूगा, गणेश पिता मूला तथा हनुमान पुत्र जैराम की सह–खातेदारी में दर्ज थी। सह–खातेदार रूगाराम व गणेशराम के फौत हो जाने पर ग्राम नारनाड़ी का ना0क0सं0 425 रूगाराम के चार पुत्रान–प्रत्यर्थी सं0 1/1 से 1/4–राजूराम, कलाराम, पुरखाराम व पोलाराम के नाम तथा गणेशराम के पुत्रान रामाराम, भींयाराम, भलाराम, इन्द्राराम, अखाराम, चेनाराम व मगी बेवा गणेशराम के नाम दर्ज किया गया। अपीलांट–केलकी एवं प्रत्यर्थी सं0 1/5 से 1/8 स्व0 रूगाराम की पुत्रियां है, जिनका नाम ना0क0 में दर्ज नही किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी सं0 2/1 एवं 2/5 गणेशराम की पुत्रियां है, जिनका नाम भी ना0क0 में दर्ज नही किया गया। सह–खातेदार सोनिया पुत्र मूला अविवाहित फौत हो गया। सोनिया की भूमि में रूगाराम को जो हिस्सा प्राप्त हुआ, उसमें रूगाराम के पुत्र एवं पुत्रियों तथा गणेशराम के वारिसान का ना0क0सं0 3953 दिनांक 05.11.2024 में हिस्सा दर्ज हुआ है। जबकि स्वयं के पिता–रूगाराम के हिस्से में अपीलांट एवं प्रत्यर्थी सं0 1/5 से 1/8 को वंचित रखा गया। अतः अपीलाधीन ना0क0सं0 425 दिनांक 21.06.1989

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को निरस्त कर, स्व0 रूगाराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज करने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्यतः इस विवेचन के अनुसार "कि वर्तमान राजस्व अभिलेखीय स्थिति अनुसार अपीलाधीन ख0नं0 531 व 565 की भूमि में से दिनांक 21.06.1989 के पश्चात पिछले 36 वर्षो की अवधि में कई हस्तांतरण जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामों/दानपत्र इत्यादि के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अपीलांट के भाईयों ने अर्थात स्व0 रूगाराम के पुत्रों ने कर दिये है तथा ख0नं0 531 में से तो रूगाराम का पूरा हिस्सा ही हस्तांतरित हो चुका है तथा नए खातेदार अभिलेख पर दर्ज है, जो निश्चित रूप से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति होने से आवश्यक पक्षकार है, परंतु अपीलांट ने उन्हें आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किया है। जो पक्षकारों का कुसंयोजन है तथा रिकॉर्ड में अभिलिखित सह–खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर किसी प्रकार का निर्णय/आदेश पारित करना विधिसम्मत नही होने से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।" इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 21.06.1989 जो कि स्व0 रूगाराम के चार पुत्रों के नाम ही पारित किया गया था, उसमें रूगाराम की पुत्रियां–अपीलांट एवं प्रत्यर्थी सं0 1/5 से 1/8 का नाम दर्ज किया जाता है तो उसमें प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः उक्त अपील स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.25 एवं अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 425 स्वीकृत दिनांक 21.06.1989 को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ताओं ने वकील अपीलांट की इस्तदुआ पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, हस्तगत अपील स्वीकार करने का आग्रह किया गया तथा आदेशिका दिनांक 22.12.2025 में उक्त आशय का "नो–आब्जेक्शन" अंकित कर अपने हस्ताक्षर किए गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर उक्त अपील दोनों पक्षो की सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 138/2025 (2025/401) अनवान केलकी बनाम स्व0 रूगाराम के वारिसान वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 तथा अपीलाधीन जैर नामान्तरकण संख्या 425 ग्राम नारनाड़ी, स्वीकृत दिनांक 21.06.1989 को निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि स्व0 रूगाराम के वारिसान की जांच कर, नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 5-1-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

5/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर